UPBS010056082025

न्यायालय ADJ I, Basti

पीठासीन अधिकारी– (SHEO CHAND), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP06040

प्रकीर्णवाद सं०–221/2025

चन्द्रशेखर आदि बनाम रामशंकर त्रिपाठी

दिनाक 19.03.2026

पत्रावली पेश हुई।

उभयपक्ष मय अधिवक्ता उपस्थित है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 19 व 151 जा०दी० पर सुना गया है।

आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 19 व 151 जा०दी० प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि मुकदमा हाजा दिनांक 04.10.2025 को, तारीख पेशी में नियत था, लेकिन भूलवश प्रार्थी के अधिवक्ता दिनांक 24.10.2025 नोट कर लिये थे। जब प्रार्थी दिनांक 24.10.2025 को अदालत पर गया तो ज्ञात हुआ कि दिनांक 04.10.2025 को प्रार्थी की अनुपस्थिति में प्रार्थी का मुकदमा खारिज हो गया है। सायलान ने जानबूझकर गलती नहीं किया है। मुकदमा खारिज होने से सायलान की सख्त हकतलफी व अपूर्णनीय क्षति है। सिविल अपील सं० 35/2022 में पारित आदेश दिनांक 04.10.2025 को रिकाल व मंसूख कर पुर्नस्थापित किये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र 5ग[2] प्रस्तुत किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सिविल अपील सं०–35/2022 की पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि दिनांक 04.10.2025 को आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त कर दिया गया है। आवेदक ने अपनी अनुपस्थिति का जो कारण आवेदनपत्र में दर्शित किया है वह शपथपत्र 5ग[2] से समर्थित है। न्याय की उद्वेश्यों की पूर्ति हेतु पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विवाद का निस्तारण गुण्दोष के आधार पर किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है। प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत है। तदनुसार प्रार्थनापत्र 4क हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 4क, 500/–रू० हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। बाद हर्जा अदायगी सिविल अपील सं०–35/2022 में पारित आदेश दिनांक 04.10.2025 निरस्त किया जाता है। सिविल अपील सं०–35/2022 अपने मूल नम्बर पर पुर्नस्थापित हो। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक को पेश हो।

अपर जिला जज,
कोर्ट सं०–1 बस्ती